भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारिबैं/विवि/2025-26/360

विवि.एसीसी.आरईसी.सं.279/21.02.067/2025-26 नवम्बर 28, 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 (01 जुलाई, 2026 को अद्यतन)

विषय-सूची

अध्याय I - प्रारंभिक 2

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ 2

बी. प्रयोज्यता 2

सी. परिभाषाएं 3

अध्याय II – लाभांश की घोषणा 5

ए. बोर्ड की निगरानी 5

बी. पात्रता मानदंड 5

सी. देय लाभांश की मात्रा 7

डी. रिपोर्टिंग प्रणाली 9

अध्याय III - निरसन प्रावधान 10

ए. निरसन प्रावधान 10

बी. अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं 10

सी. व्याख्याएँ 10

अनुबंध 1- लाभांश घोषित करनेवाली एनबीएफसी के लिए रिपोर्टिंग फार्मेट 12

अनुबंध 2- लाभांश घोषित करनेवाली स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर के लिए रिपोर्टिंग फार्मेट 13

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 45 एल, धारा 3 के साथ पठित धारा 31 ए और फ़ैक्टर विनियमन अधिनियम 2011 की धारा 6 द्वारा, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 30 ए और 32 और प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित और बैंकिंग नीति में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I - प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 कहा जाएगा।
2. यह निदेश जारी होने के तत्काल से प्रभावी हो जाएंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. यह निदेश गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (जिसे आगे से सामूहिक रूप से 'एनबीएफसी' और वैयक्तिक रूप से 'एनबीएफसी' के रूप में संदर्भित) पर लागू होंगे , जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए।

    (i) भरतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी;

    (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-निवेश और ऋण कंपनी ;

    (iii) फ़ैक्टोरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-फ़ैक्टर;

    (iv) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थान;

    (v) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-अवसंरचना वित्त कंपनी;

    (vi) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-अवसंरचना ऋण निधि;

    (vii) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत आवास वित्त कंपनी;

(viii) गिरवी गारंटी कंपनियों के पंजीकरण की योजना के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत गिरवी गारंटी कंपनी;

(ix) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर;

(x) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत कोर निवेश कंपनी;

(xi) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म; और

(xii) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-खाता एग्रीगेटर;

ये निर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत गैर-संचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

सी. परिभाषाएं

4. इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो, यहां दिए गए शब्दों का आशय निम्नानुसार होगा।

(i) 'एएनडब्ल्यू' का अर्थ है पूंजी पर्याप्तता पर लागू होने वाले विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार गणना की गई समायोजित निवल पूंजी।

(ii) 'सीआरएआर' का अर्थ है पूंजी पर्याप्तता पर लागू होने वाले विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार गणना की गई जोखिम-भारित परिसंपत्तियों पर पूंजी अनुपात।'

(iii) 'लाभांश' में कोई भी अंतरिम लाभांश शामिल है।

(iv) 'लाभांश भुगतान अनुपात' का अर्थ है एक वर्ष में (अंतरिम लाभांश सहित) देय लाभांश की राशि और वर्ष के दौरान निवल लाभ के मध्य का अनुपात उस वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार जिसके लिए लाभांश प्रस्तावित है।

(v) 'असाधारण लाभ / आय' का वही अर्थ होगा जो लागू लेखांकन मानकों के तहत परिभाषित किया गया है।

(vi) 'निवल अनर्जक आस्तियां (एनएनपीए) अनुपात' का अर्थ है एनएनपीए का निवल अग्रिमों का अनुपात।

5. अन्य सभी अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें लागू अधिनियमों, उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के तहत दिया गया है, अथवा किसी भी सांविधिक संशोधन अथवा पुनः अधिनियमन अथवा वाणिज्यिक भाषा में उपयोग किया गया है, जैसा भी मामला हो।

अध्याय II – लाभांश की घोषणा

ए. बोर्ड की निगरानी

6. निदेशक मंडल लाभांश के प्रस्तावों पर विचार करते समय निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखेगा:

(i) गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के वर्गीकरण और प्रावधानों में विचलन पर भारतीय रिज़र्व बैंक / राष्ट्रीय आवास बैंक, जैसा भी लागू हो, के निवारणात्मक निष्कर्ष

(ii) वित्तीय विवरणों के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में अर्हता; और

(iii) दीर्घकालिक विकास योजनाएं।

7. बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित कुल लाभांश इस मास्टर निदेश में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक न हो।

बी. पात्रता मानदंड

8. एनबीएफसी लाभांश घोषित करने के पात्र होने के लिए निम्नलिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे:

सारणी 1: लाभांश की घोषणा: न्यूनत्तम विवेकपूर्ण आवश्यकताएं		
क्र.सं.	**मापदंड**	**आवश्यताएं**
(1)	पूंजी पर्याप्तता	1. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर को छोड़कर) को उस वित्त वर्ष सहित, जिसके लिए लाभांश का प्रस्ताव है, पिछले तीन वित्त वर्षों में से प्रत्येक के लिए लागू विनियामक पूंजी आवश्यकताओं (जैसा भी लागू हो, सीआरएआर, टियर I पूंजी, टियर II पूंजी, लीवरेज अनुपात और एएनडब्ल्यू) को पूरा करना होगा। बशर्ते कि यदि कोई. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी तीन वित्त वर्षों से कम समय से अस्तित्व में है, तो उपरोक्त आवश्यकता पंजीकरण के समय से लागू होगी। (2) स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर को उस वित्त वर्ष (उसके चारों तिमाहियों) के लिए, जिसके लिए लाभांश का प्रस्ताव है, न्यूनतम 20 प्रतिशत का सीआरएआर बनाए रखना होगा। नोट: पंजीकृत जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी, एनबीएफसी -

सारणी 1: लाभांश की घोषणा: न्यूनत्तम विवेकपूर्ण आवश्यकताएं		
क्र.सं.	**मापदंड**	**आवश्यताएं**
		निवेश और ऋण कंपनी, एनबीएफसी - फैक्टर, एनबीएफसी - अवसंरचना वित्त कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड - एनबीएफसी और एनबीएफसी - सूक्ष्म वित्त संस्थान को न्यूनतम लागू विनियामक पूंजी आवश्यकताओं के लिए भारततीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 का संदर्भ लेना चाहिए। आवास वित्त कंपनियों को न्यूनतम लागू विनियामक पूंजी आवश्यकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आवास वित्त कंपनियां) निदेश, 2025 का संदर्भ लेना चाहिए। गिरवी गारंटी कंपनियों को न्यूनतम लागू विनियामक पूंजी आवश्यकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (गिरवी गारंटी कंपनियां) निदेश, 2025 का संदर्भ लेना चाहिए। कोर निवेश कंपनियों को न्यूनतम लागू विनियामक पूंजी आवश्यकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (कोर निवेश कंपनियां) निदेश, 2025 का संदर्भ लेना चाहिए। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म को न्यूनतम लागू विनियामक पूंजी आवश्यकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म) निदेश, 2025 का संदर्भ लेना चाहिए। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-खाता एग्रीगेटर को न्यूनतम लालू विनियामक पूंजी आवश्यकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - खाता एग्रीगेटर) निदेश, 2025 का संदर्भ लेना चाहिए।
(2)	निवल एनपीए	पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक में एनएनपीए अनुपात छह प्रतिशत से कम होगा, जिसमें वह वित्तीय वर्ष भी शामिल है जिसके लिए लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव है।

सारणी 1: लाभांश की घोषणा: न्यूनत्तम विवेकपूर्ण आवश्यकताएं		
क्र.सं.	**मापदंड**	**आवश्यताएं**
(3)	अन्य मानदंड	(i) एनबीएफसी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईसी के प्रावधानों का अनुपालन करेगा। नोट: आवास वित्त कंपनियों के मामले में, उन्हें राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29C के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को यथास्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा (आवास वित्त कंपनियों के मामले में) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी विद्यमान विनियमों / दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा। लाभांश घोषित करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा (आवास वित्त कंपनियों के मामले में) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाया गया होना चाहिए।

सी. देय लाभांश की मात्रा

9. पैरा 8 के अनुसार लाभांश घोषित करने के लिए पात्र एनबीएफसी निम्नलिखित के अधीन लाभांश का भुगतान कर सकती है:

   (i) प्रस्तावित लाभांश में इक्विटी शेयरों और अनिवार्य रूप से संपरिवर्तनीय अधिमानी शेयरों दोनों पर लाभांश शामिल होगा, जो टियर 1 पूंजी में शामिल करने के पात्र होंगे।

   (ii) यदि सुसंगत अवधि के लिए निवल लाभ में कोई असाधारण और/अथवा असाधारण लाभ/आय शामिल है अथवा वित्तीय विवरण सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा अर्हता-प्राप्त हैं ('मामले में जोर' सहित) जो निवल लाभ के अधिक विवरण को इंगित करता है, तो लाभांश भुगतान अनुपात का निर्धारण करते समय इसे निवल लाभ से कम किया जाएगा।

   (iii) लाभांश घोषित करने के लिए पात्र एनबीएफसी के लिए लाभांश भुगतान अनुपात की सीमा निम्नानुसार होगी:

सारणी 2: लाभांश भुगतान अनुपात में अधिकतम सीमा		
क्र.सं.	**एनबीएफसी का प्रकार**	**अधिकतम लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशत)**
(ए)	[1]['टाइप I एनबीएफसी' के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र धारण करने वाला एनबीएफसी]	कोई अधिकतम सीमा विनिर्दिष्ट नहीं है
(बी)	कोर निवेश कंपनियां	60
(सी)	स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर	60
(डी)	अन्य एनबीएफसी	50

नोट: ऐसी एनबीएफसी -बेस लेयर कंपनियों पर, जिनका ग्राहक इंटरफेस तो है किंतु जो सार्वजनिक निधि स्वीकार नहीं करतीं, लाभांश भुगतान अनुपात पर कोई ऊपरी सीमा लागू नहीं होगी। निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित कुल लभ्यांश इन दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक न हो। लभ्यांश की घोषणा के संबंध में किसी भी विशेष छूट के अनुरोध पर भारततीय रिज़र्व बैंक या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

10. अतिरिक्त प्रावधान को वापस लेने, ऐसे प्रावधान को वापस लेने पर एनबीएफसी द्वारा लाभांश का भुगतान, और भारत सरकार की गारंटी वाले लोन और सिक्योरिटी रिसीट्स के स्थानांतरण से होने वाले अवास्तविक लाभ के मामले में सावधानी बरतने से जुड़े नियम भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – क्रेडिट रिस्क का स्थानांतरण और वितरण) निर्देश, 2025 में दिए गए निर्देशों के अनुसार होंगे।
11. कोई एनबीएफसी, जो स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर नहीं है, यदि वह पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए पैराग्राफ 8 [सारणी 1 के क्रम सं. (1) और (2)] में निर्धारित लागू आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, तो भी वह लाभांश घोषित करने के लिए पात्र हो सकती है, बशर्ते कि लाभांश वितरण अनुपात पर दस प्रतिशत की सीमा लागू हो और एनबीएफसी निम्नलिखित शर्तों का पालन करती हो:

[1] 29 अप्रैल, 2026 को जारी भारततीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन ढांचा) संशोधन निदेश, 2026 के तहत 01 जुलाई, 2026 से प्रतिस्थापित।

(i) उसने उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, जिसके लिए वह लाभांश का भुगतान करने का प्रस्ताव रखती है, लागू पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं (जहाँ लागू हो, सीआरएआर, टियर-। पूंजी, टियर-॥ पूंजी, लीवरेज अनुपात, एएनडब्ल्यू सहित) को पूरा किया हो; और

(ii) उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उसका सकल खराब ऋण (नेट एनपीए) चार प्रतिशत से कम हो।

12. स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलरों के मामले में, यदि जिस वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश का प्रस्ताव है, उसकी किसी भी तिमाही में सीआरएआर विनियामक न्यूनतम 15 प्रतिशत से कम है, तो वे कोई लाभांश घोषित नहीं करेंगे। जिन एसपीडी का लाभांश विचाराधीन वित्तीय वर्ष की प्रत्येक चार तिमाहियों के दौरान सीआरएआर विनियामक न्यूनतम 15 प्रतिशत या उससे अधिक है, किंतु उनमें से किसी भी तिमाही में 20 प्रतिशत से कम है, उनके लिए लाभांश वितरण अनुपात 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

डी. रिपोर्टिंग प्रणाली

13. लाभांश की घोषणा करने वाली एनबीएफसी (स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर को छोड़कर) लाभांश की घोषणा के एक पखवाड़े के भीतर अनुबंध 1 में दिए गए फार्मेट के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के विवरण की सूचना पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय जिसके अधिकार-क्षेत्र में पंजीकृत है, को देगीं।

14. किसी आवास वित्त कंपनी को लाभांश घोषित करने के पश्चात एक पखवाड़े के भीतर के भीतर, उस वित्त वर्ष के दौरान घोषित लाभांश का विवरण अनुबंध 1 में दिए गए फार्मेट के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत करना होगा।

15. किसी स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर को लाभांश घोषित करने के एक पखवाड़े के भीतर, उस वित्त वर्ष के दौरान घोषित लाभांश का विवरण अनुबंध 2 में निर्धारित प्रारूप के अनुसार, साथ ही लाभांश की सिफारिश करने वाले बोर्ड के संकल्प की एक प्रति संलग्न करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग को प्रस्तुत करना होगा।

अध्याय III - निरसन प्रावधान

ए. निरसन प्रावधान

16. इन निर्देशों के जारी होने के साथ ही, एनबीएफसी पर लागू होने वाले लाभांश की घोषणा से जुड़े विवेकपूर्ण नियमों के मौजूदा निर्देश और दिशानिर्देश रद्द माने जाएंगे, जैसा कि 28 नवंबर 2025 के परिपत्र विवि. आरआरसी. आरईसी.302/33-01-010/2025-26 में बताया गया है। इन निर्देशों के जारी होने से पहले रद्द किए गए निर्देश और दिशानिर्देश रद्द ही रहेंगे।

17. ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त किए गए निर्देशों या दिशानिर्देश के तहत की गई या की गई मानी जाने वाली कोई भी कार्रवाई, या शुरू की गई कोई भी कार्रवाई, उन्हीं के प्रावधानों के अनुसार संचालित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के तहत दी गई सभी मंजूरियां या स्वीकृतियां इन निर्देशों के तहत संचालित मानी जाएंगी। साथ ही, इन निर्देशों या दिशानिर्देश को निरस्त करने से किसी भी तरह से इन पर बुरा असर नहीं पड़ेगा:
    (i) उसके तहत हासिल किया गया, बना या लागू हुआ कोई भी अधिकार, दायित्व या ज़िम्मेदारी;
    (ii) उसके तहत किए गए किसी उल्लंघन के लिए लगाया गया कोई भी जुर्माना, ज़ब्ती या सज़ा;
    (iii) ऊपर बताए गए किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, ज़िम्मेदारी, जुर्माने, ज़ब्ती या सज़ा के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय; और ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी जुर्माना, ज़ब्ती या सज़ा लगाई जा सकती है, मानो उन निर्देशों या दिशानिर्देश को रद्द न किया गया हो।

बी. अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं

18. इन निदेशों के उपबंध तत्समय लागू किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों अथवा निदेशों के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि अवहेलना।

सी. व्याख्याएँ

19. इन निदेशों के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से अथवा इन निदेशों के उपबंधों के आवेदन अथवा व्याख्या में आने वाली किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, रिज़र्व बैंक, यदि वह आवश्यक समझे, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी

कर सकता है और रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(सुनील टी एस नायर)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध 1- लाभांश घोषित करनेवाली एनबीएफसी के लिए रिपोर्टिंग फार्मेट

1 अप्रैल, 20------- से आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान घोषित लाभांश का विवरण
एनबीएफसी का नाम:__

लेखांकन अवधि*	**लेखांकन अवधि के लिए निवल लाभ (₹ करोड़ में)**	**लाभांश की दर (% में)**	**लाभांश की राशि- (लाभांश कर को छोड़कर) (₹ करोड़ में))**	**लाभांश भुगतान अनुपात (% में)**
1	2	3	4	5

* तिमाही अथवा छमाही अथवा वर्ष समाप्ति--------------जैसा भी मामला हो।

अनुबंध 2- लाभांश घोषित करनेवाली स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर के लिए रिपोर्टिंग फार्मेट

1 अप्रैल, 20------- से आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान घोषित लाभांश का विवरण
स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर का नाम:___

लेखांकन अवधि*	लेखांकन अवधि के लिए निवल लाभ (संचयी) (₹ करोड़ में)	लाभांश की दर (संचयी) (% में)	लाभांश की राशि (संचयी) (₹ करोड़ में))	लाभांश भुगतान अनुपात (% में)
1	2	3	4	5

* तिमाही अथवा छमाही अथवा वर्ष समाप्ति--------------जैसा भी मामला हो।

नोट: अंतिम घोषित लाभांश के लिए विवरणी प्रस्तुत करते समय, यदि कोई आवधिक लाभांश घोषित किया गया है, तो उसका विवरण भी इस विवरणी में शामिल किया जाएगा।

मैं/हम पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त लाभांश की घोषणा करते समय लाभांश घोषणा हेतु बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नाम:
पदनाम:
दिनांक: